



अंतर्राष्ट्रीय छात्र - पाठ्यक्रम में प्रगति

यह तथ्य पत्रक पाठ्यक्रम में संतोषजनक प्रगति बनाए रखने के बारे में है और इसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:

- » पाठ्यक्रम में प्रगति के नियम
- » हस्तक्षेप कार्यनीतियाँ
- » राष्ट्रमंडल लोकपाल (Commonwealth Ombudsman) की भूमिका, और
- » अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सुझाव।

पाठ्यक्रम में प्रगति

मेरे लिए पाठ्यक्रम में संतोषजनक प्रगति बनाए रखना क्यों आवश्यक है?

सभी प्राथमिक छात्र वीजा धारकों के लिए एक अनिवार्य वीजा शर्त (8202) लागू होती है। इस शर्त के अनुसार आपको अपने पाठ्यक्रम में प्रत्येक अध्ययन अवधि के लिए आपके शिक्षा प्रदाता द्वारा नियत की गई संतोषजनक प्रगति बनाए रखना (अन्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त) अनिवार्य होता है।

यदि आपकी परिस्थितियाँ बदल जाएँ, उदाहरण के लिए यदि आप बीमार पड़ जाएँ या आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े जो आपके अध्ययन को प्रभावित कर सकती हैं, तो आपके लिए इनके बारे में अपने शिक्षा प्रदाता को सूचित करना आवश्यक होता है।

मुझे किन बातों के बारे में जानने की आवश्यकता है?

आपके शिक्षा प्रदाता के लिए यह आवश्यक है कि:

- वह पाठ्यक्रम में आपकी प्रगति की निगरानी करे

हमसे संपर्क करें

ombudsman.gov.au

1300 362 072

GP Box 442

Canberra ACT 2601

आपको अपने प्रदाता के पास शिकायत और अपील करने का अधिकार प्राप्त है और फिर शिकायतों का समाधान करने वाले एक बाहरी स्वतंत्र निकाय के पास शिकायत करने का अधिकार प्राप्त है

राष्ट्रमंडल लोकपाल

शिकायतों का समाधान करने वाला एक स्वतंत्र निकाय है

राष्ट्रमंडल लोकपाल एक

निःशुल्क सेवा है

क्या आपने हमारा वीडियो देखा है? इसे देखने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें




- यदि आप पाठ्यक्रम में संतोषजनक प्रगति की आवश्यकताओं को पूरा न कर पाने के खतरे में हों, तो वह एक हस्तक्षेप कार्यनीति लागू करे
- यदि हस्तक्षेप कार्यनीति लागू किए जाने के बाद भी पाठ्यक्रम में संतोषजनक प्रगति प्राप्त न कर पाने के लिए आपका आकलन किया जाए, तो वह Department of Home Affairs के पास आपकी रिपोर्ट करने के अपने उद्देश्य के बारे में आपको सूचित करे।
- वह पाठ्यक्रम में आपकी असंतोषजनक प्रगति के बारे में Department of Home Affairs को सूचित करे।

एक छात्र/छात्रा के रूप में:

- आपको पाठ्यक्रम में प्रगति की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए
- आपके पास पाठ्यक्रम में असंतोषजनक प्रगति के बारे में रिपोर्ट करने के आपके शिक्षा प्रदाता के निर्णय की अपील करने का अधिकार है।

प्रक्रिया की रूपरेखा



आगे क्या होगा?

यदि आप ऊपर दर्शाई गई प्रक्रिया का पालन करते/करती हैं और राष्ट्रमंडल लोकपाल (Commonwealth Ombudsman) से संपर्क करने का निर्णय लेते/लेती हैं, तो लोकपाल (Ombudsman) आपके शिक्षा प्रदाता के साथ आपके विवाद के बारे में विचार करेंगे।

यदि लोकपाल (Ombudsman) आपके समर्थन में निर्णय लेते हैं, तो आपके प्रदाता के लिए लोकपाल (Ombudsman) की सलाह को लागू करना आवश्यक होगा। इस स्थिति में आप अपना पाठ्यक्रम जारी रख पाएँगे/पाएँगी और Department of Home Affairs के पास आपकी रिपोर्ट नहीं की जाएगा।

यदि लोकपाल (Ombudsman) आपके प्रदाता के समर्थन में निर्णय लेते हैं, तो पाठ्यक्रम में संतोषजनक प्रगति करने में आपके असफल होने के लिए आपका प्रदाता Department of Home Affairs के पास आपकी रिपोर्ट कर सकता है। लोकपाल (Ombudsman) आपके प्रदाता के समर्थन में निर्णय ले सकते हैं, यदि:

- आपके प्रदाता की नीतियाँ और प्रक्रियाएँ [राष्ट्रीय संहिता और कानून](#)¹ का पालन करती हैं, और

¹ वेबसाइट [ESOS legislative framework](#) पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा वेबपेज पर जाएँ

- आपके प्रदाता ने अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन किया है।

हस्तक्षेप कार्यनीति क्या होती है?

पाठ्यक्रम में प्रगति की आवश्यकताओं को पूरा करने में आपके असफल होने का खतरा रहने पर हस्तक्षेप कार्यनीति आपकी सहायता करने के लिए एक योजना, तरीका या कार्यवाही होती है। हस्तक्षेप कार्यनीति का उद्देश्य आपको अपने पाठ्यक्रम में प्रगति को संतोषजनक स्तर पर लाने में सुधार करने के लिए सहायता देना होता है।

शिक्षा के क्षेत्र, पाठ्यक्रम और छात्र/छात्रा के अनुसार उपयुक्त हस्तक्षेप कार्यनीतियाँ अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन इनमें निम्नलिखित में से कुछ बातें शामिल हो सकती हैं:

- आपके लिए उपलब्ध अध्ययन कुशलता कार्यशालाओं, शैक्षिक परामर्श, अंग्रेज़ी भाषा समर्थन या अन्य समर्थन की सलाह देना
- अगली अध्ययन अवधि के समाप्त होने से पहले आपकी प्रगति की समीक्षा करने के लिए आपके शिक्षा प्रदाता के किसी सदस्य कर्मियों के साथ नियमित रूप से मुलाकात करने की आवश्यकता निर्धारित करना
- आपके और आपके प्रदाता के बीच सहमति से आपके अध्ययन के भार को अस्थायी रूप से कम करना या आपको किसी अन्य विषय क्षेत्र में स्थानांतरित करना
- आपके लिए न्यूनतम कक्षाओं में भाग लेने की आवश्यकता निर्धारित करना
- आपके लिए निश्चित समय-सीमा के अंदर एसाइनमेंट जमा करने या गृह-कार्य पूरा करने की आवश्यकता निर्धारित करना
- आपको अन्य प्रासंगिक समर्थन सेवाओं के प्रति निर्दिष्ट करना, उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत मामलों के लिए परामर्श, चिकित्सा, आवास या वित्तीय परामर्श सेवाओं जैसी समुचित सेवाएँ
- अध्ययन को स्थगित करने या अस्थायी रूप से निलंबित करने की अवधि पर विचार करना
- एक लिखित हस्तक्षेप योजना लागू करना, जिसमें उपरोक्त कुछ कार्य-कलापों में आपके भाग लेने के लिए आवश्यक कदमों की पुष्टि करना शामिल हो सकता है।

मुझे और किन बातों के बारे में जानने की आवश्यकता है?

यदि आप हस्तक्षेप कार्यनीति लागू किए जाने के बाद पाठ्यक्रम में प्रगति की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहते/रहती हैं, तो आपके प्रदाता के लिए आपको रिपोर्ट करने के उद्देश्य की सूचना (Notice of Intention to Report) भेजना आवश्यक होगा। रिपोर्ट करने के उद्देश्य की सूचना में आपको बताया जाएगा कि प्रदाता Department of Home Affairs को आपके बारे में सूचित करने का उद्देश्य रखता है। आपके पास 20 कार्य दिवसों (सोमवार से शुक्रवार तक, सार्वजनिक अवकाश के दिनों को छोड़कर) के अंदर पहले एक **आंतरिक अपील (internal**

appeal) दर्ज करने का अवसर होगा। आपके प्रदाता की नीतियों और प्रक्रियाओं में इसके बारे में समझाया गया होगा। आपको अपने शिक्षा प्रदाता की शिकायत और अपील प्रक्रिया का पालन करना होगा। यह सुनिश्चित करें कि आपका संपर्क विवरण अद्यतन रहे।

यदि आप आंतरिक अपील दर्ज करते/करती हैं, तो आपके प्रदाता को आपको आंतरिक अपील का लिखित परिणाम देना होगा और अपने निर्णय के पीछे कारण समझाने होंगे। इसमें आपको यह भी बताया जाएगा कि आपके बारे में सूचित करने से पहले आपके पास एक निश्चित समय (समय सीमा) के अंदर राष्ट्रमंडल लोकपाल (Commonwealth Ombudsman) जैसे स्वतंत्र शिकायत निकाय के समक्ष **बाहरी शिकायत (external complaint)** दर्ज करने का अधिकार है।

अपने प्रदाता के आंतरिक अपील के परिणाम को पढ़ें और यह निर्णय लें कि क्या आप बाहरी शिकायत करना चाहते/चाहती हैं या नहीं। आपके प्रदाता द्वारा दी गई **समय सीमा** समाप्त होने से पहले आपको बाहरी शिकायत निकाय से संपर्क करना होगा। आपको अपने शिक्षा प्रदाता को यह भी बताना चाहिए कि आपने बाहरी शिकायत दर्ज की है, जिससे उन्हें पता रहे कि वे बाहरी शिकायत प्रक्रिया के पूरा होने तक आपके बारे में रिपोर्ट न करें।

मैं अपने शिक्षा प्रदाता के निर्णय के बारे में शिकायत कैसे कर सकता/सकती हूँ?

यदि आप एक **निजी** शिक्षा प्रदाता के साथ अध्ययन करने वाले/वाली एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र/छात्रा हैं, तो अपने प्रदाता की शिकायत और अपील प्रक्रिया समाप्त कर लेने के बाद आप राष्ट्रमंडल लोकपाल (Commonwealth Ombudsman) के पास शिकायत कर सकते/सकती हैं। लोकपाल (Ombudsman) ऑस्ट्रेलिया में निजी स्कूलों, कॉलेजों या विश्वविद्यालयों (शिक्षा प्रदाताओं) के साथ भविष्य में अध्ययन करने के इच्छुक, वर्तमान में अध्ययन करने वाले, या भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय छात्र/छात्राओं को होने वाली समस्याओं के बारे में शिकायतों की जांच करते हैं। आप हमारा फॉर्म ऑनलाइन भर सकते/सकती हैं या हमें **1300 362 072** पर फोन कर सकते/सकती हैं। शिकायत करने और हमसे संपर्क करने के बारे में और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट **ombudsman.gov.au** पर जाएँ।

यदि आप **दक्षिण ऑस्ट्रेलिया** में अध्ययन करने वाले/वाली एक अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू छात्र/छात्रा हैं, तो आप [Office of the Training Advocate](#)² के पास शिकायत कर सकते/सकती हैं।

यदि आप एक **सार्वजनिक (सरकारी) शिक्षा प्रदाता** के साथ अध्ययन करने वाले/वाली एक अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू छात्र/छात्रा हैं, तो आप उपयुक्त [राज्य या राज्य-क्षेत्र लोकपाल \(state or territory ombudsman\)](#)³ के पास शिकायत कर सकते/सकती हैं।

² <http://www.trainingadvocate.sa.gov.au/>

³ <http://www.ombudsman.gov.au/what-we-do>

यदि मैं लोकपाल (Ombudsman) के पास शिकायत करता/करती हूँ, तो क्या ऐसा करने से मेरे प्रदाता को Department of Home Affairs के पास मेरी रिपोर्ट करने में बाधा होगी?

लोकपाल (Ombudsman) द्वारा आपकी बाहरी शिकायत की जांच करते समय आपके प्रदाता को आपका नामांकन बनाए रखना चाहिए। आपकी बाहरी शिकायत की जांच शुरू और समाप्त किए जाने पर लोकपाल (Ombudsman) आपको और आपके प्रदाता को इसके बारे में सूचित करेंगे।

जांच के परिणाम के आधार पर:

- आपके प्रदाता को अभी भी आपके बारे में रिपोर्ट करने की आवश्यकता हो सकती है, या
- लोकपाल (Ombudsman) यह सलाह दे सकते हैं कि प्रदाता आपकी रिपोर्ट न करे।

यदि Department of Home Affairs के पास मेरी रिपोर्ट की जाती है, तो क्या होगा?

यदि आपको इस बात की सूचना दी जाती है कि आपके प्रदाता ने आपकी रिपोर्ट की है, तो आपके वीजा को निरस्त किए जाने के बारे में विचार किया जा सकता है। यदि आपके वीजा के निरस्तीकरण (cancellation) के बारे में विचार किया जाता है, तो Department of Home Affairs आपको अपनी परिस्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने का अवसर देने के लिए आपको एक नोटिस भेजेगा। आपकी परिस्थितियों के बारे में इस जानकारी को ध्यान में रखा जाएगा। आपको Department of Home Affairs द्वारा दी गई समय सीमा के अंदर उत्तर देना होगा, अन्यथा आपके वीजा को निरस्त किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने संपर्क विवरण अद्यतित रखें और अपने वीजा की शर्तों का अनुपालन जारी रखना सुनिश्चित करें। आप वेबसाइट homeaffairs.gov.au पर ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन करने के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

मेरी सहायता और कौन कर सकता है?

आप हमारी वेबसाइट पर अपनी सहायता करने में सक्षम अन्य संगठनों के लिए [उपयोगी कड़ियाँ](#)⁴ की सूची देख सकते/सकती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सुझाव

- अपने शिक्षा प्रदाता की पाठ्यक्रम प्रगति नीति पढ़ें और यह समझना सुनिश्चित करें कि आपके लिए इसका क्या अर्थ है। यदि आपके पास इसके बारे में कोई प्रश्न हैं, तो अपने शिक्षा प्रदाता से पूछें।
- यह सुनिश्चित करें कि आप अपने शिक्षा प्रदाता की 'पाठ्यक्रम में संतोषजनक प्रगति' और 'पाठ्यक्रम में असंतोषजनक प्रगति' की परिभाषा समझते/समझती हैं। यदि आपको इस बारे में पता नहीं है कि आपके लिए क्या मानक हैं, तो अपने शिक्षा प्रदाता से आपको इसके बारे में समझाने के लिए कहें।

⁴ <http://www.ombudsman.gov.au/How-we-can-help/overseas-students/useful-links>

- आपका शिक्षा प्रदाता कितने समय के लिए पाठ्यक्रम में प्रगति की निगरानी करता है, इसका ध्यान रखना सुनिश्चित करें—क्या यह पांच सप्ताहों का अध्ययन समय है? या 10 सप्ताहों का एक सत्र? या 26 सप्ताहों का एक सेमेस्टर? या क्या यह आपके पाठ्यक्रम की पूरी अवधि है? यदि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो अपने शिक्षा प्रदाता से पूछें।
- अपने शिक्षा प्रदाता के पास अपने संपर्क विवरण को अद्यतित रखें। इससे यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि आपके शिक्षा प्रदाता द्वारा आपको जानकारी भेजे जाने पर यह जानकारी आपको अवश्य प्राप्त होगी।
- यदि आपको अपने पाठ्यक्रम में किसी भी समस्या का अनुभव आरंभ होने लगे, तो इसके बारे में अपने शिक्षा प्रदाता के साथ बात करें और सहायता के लिए पूछें।
- यदि आपका शिक्षा प्रदाता पाठ्यक्रम में आपकी प्रगति के बारे में चर्चा करने के लिए मुलाकात या किसी सदस्य कर्मी से मिलने के लिए एपॉइंटमेंट लेने को कहे, तो उनके साथ सहयोग करें। इसे शीघ्रतापूर्वक करें—बहुत देर हो जाने तक प्रतीक्षा न करें। यह आपके लिए पाठ्यक्रम में अपनी प्रगति में सुधार करने के लिए सहायता और समर्थन प्राप्त करने का एक अवसर है, जिससे कि आपकी रिपोर्ट न की जाए।
- अपने शिक्षा प्रदाता के साथ ईमानदारी से बात करें और उन्हें बताएँ कि क्या चल रहा है और आपको अपनी पढ़ाई में में परेशानी क्यों हो रही है। इसके पीछे ये कारण हो सकते हैं:

* घर की याद आना

* संबंधों में कठिनाइयाँ होना

* बीमार पड़ना

* पढ़ाई समझ में न आना, या

* आपको अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

आपके शिक्षा प्रदाता को इन समस्याओं में आपकी सहायता करने या आपको सलाहकार जैसी अन्य सहायता सेवाओं से संपर्क करने के बारे में बताने की कोशिश करनी चाहिए।

- यदि आपका शिक्षा प्रदाता आपको यह बताए कि आप पाठ्यक्रम में संतोषजनक प्रगति करने में असफल होने के खतरे में हैं, तो उसे आपके लिए एक हस्तक्षेप कार्यनीति उपलब्ध करानी चाहिए। हस्तक्षेप कार्यनीतियों को आपके पाठ्यक्रम में आपकी प्रगति में सुधार लाने में सहायता देने के लिए बनाया जाता है। प्रदाता द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यनीति को स्वीकार करें और पाठ्यक्रम में आपकी प्रगति में सुधार लाने के लिए वह जो कुछ भी कहे, उसका पालन करें।
- आपका शिक्षा प्रदाता जो हस्तक्षेप कार्यनीतियाँ आपको प्रस्तुत करता है या वह जिन हस्तक्षेप कार्यनीतियों के बारे में आपको बताता है, उनका पालन करें। यदि आपका शिक्षा प्रदाता आपके लिए एक हस्तक्षेप योजना

या शिक्षण समझौता लागू करता है, तो उसमें आपको जो कुछ भी करने के लिए कहा जाए, वह निश्चित रूप से करें।

और अधिक जानकारी वेबसाइट ombudsman.gov.au पर उपलब्ध है।

कृपया ध्यान दें: इस प्रपत्र का उद्देश्य केवल एक निर्देशिका के रूप में मार्गदर्शन करना है। इसलिए व्यक्तिगत मामलों में इस जानकारी पर कानूनी सलाह के रूप में या कानूनी सलाह के एक विकल्प के रूप में निर्भर नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रमंडल लोकपाल कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक इस प्रपत्र पर निर्भरता के परिणामस्वरूप आपको होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। उद्धृत अधिनियमों के सबसे अद्यतित संस्करणों के लिए कृपया [Federal Register of Legislation](#) देखें।